

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 18(5) एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक: 07.08.98 के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या-05 में अंकित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान/चयनित वेतनमान एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र सं.	नाम प्राध्यापक मय पद स्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	चयन का प्रकार	स्केल नं.	वरिष्ठ/चयनित वेतनमान देय तिथि
1.	श्रीमती संगीता शर्मा, 11 क्यू, बख्ताना (श्रीगंगानगर)	प्रधानाचार्य, तत्समय व्या. गणित	डीपीसी	7500-12000	15.07.2006
2.	स्व. भगवान सिंह, नदबई (भरतपुर)	भौतिक विज्ञान (सेवानिवृत्त)	डीपीसी	7500-12000	23.11.2000

क्र.सं. 01 पर अंकित कार्मिक के परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण व.वे.मा. एक वर्ष विलम्ब से स्वीकृत किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान उक्त प्राध्यापक को देय वरिष्ठ/चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण नियमानुसार अपने स्तर पर कर सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करें।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/ववेमा/वो-11/2009/329
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक: 03.07.2020

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित कार्मिक।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर